"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अप्रैल 2012—चैत्र 17, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

RAJBHAVAN, RAIPUR

Raipur, the 26th March 2012

No. 1000/7664/2008/RS/U-9.—In continuation to Raj Bhavan Secretariat Notification Nos. 6843/7664/2008/RS/U-9 dated 22-12-2011 and 6873/7664/2008/RS/U-9 dated 23-12-2011 on the request of the sole arbitrator the term of the tribunal to submit award is hereby extended further for two more months,

The other terms and conditions remain the same.

Sd/-

(SHEKHAR DUTT)
Governor of Chhattisgarh and Kuladhipati
of State Universities.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2012

क्रमांक ई-1-18/2010/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 26/1/2012-ईओ(एसएम-I), दिनांक 16-2-2012 के तारतम्य में श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से. (सीजी:1987), प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को संयुक्त सचिव, भारत सरकार, नगरीय विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिये तत्काल प्रभाव से सौंपी जाती है.

2. श्री आर. सी. सिन्हा, भा.प्र.से. (सीजी:1982) सचिव, सामान्य प्रशासन, जन शिकायत निवारण, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2012

क्रमांक ई-1-2/2003/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/27/2006-एआईएस (I), दिनांक 04-01-2007 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम-6 (1) के अंतर्गत श्री के. श्रीनिवासुलु, भा.प्र.से. (सिक्किम:1994) की सेवायें छत्तीसगढ़ शासन को अंत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष के लिये सौंपी गई थी. श्री के. श्रीनिवासुलु द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में दिनांक 19-03-2007 को कार्यभार ग्रहण किया गया है.

2. अतएव श्री के. श्रीनिवासुलु, भा.प्र.से. की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 18-03-2012 को समाप्त होने के फलस्वरूप उनकी सेवायें पैतृक संवर्ग (सिक्किम शासन) को दिनांक 16-03-2012 (अपरान्ह) से वापस लौटाई जाती है.

3. श्री पी. अन्बलगन, भा.प्र.से. (2004) कलेक्टर, बस्तर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ कमिश्नर, बस्तर संभाग, बस्तर का प्रभार कमिश्नर के पद पर नियमित पदस्थापना किये जाने तक सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2012

क्रमांक ई-1-02/2012/एक/2.—श्री के. सुब्रमण्यम, भा.व.से. (1984) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर को दिनांक 26 मार्च 2012 से 21 अप्रैल 2012 तक मिड कैरियर प्रशिक्षण (चतुर्थ चरण) हेतु नियोजित किया गया है. उक्त प्रशिक्षण अवधि के दौरान अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का कार्य श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से. (1994) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जनशक्ति नियोजन विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सम्पादित करेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2012

फा. क्र. 2402/830/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) एवं छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 8 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री मूलचंद आत्मज स्व. श्री करन सिंह को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ उच्चतर

न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5(1) (सी) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2012

फा. क्र. 2404/777/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) एवं छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 8 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री शक्ति सिंह राजपूत आत्मज स्व. श्री बनबीर सिंह राजपूत को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5(1) (सी) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2012

फा. क्र. 2406/530/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) एवं छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 8 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री सत्येन्द्र कुमार साहू आत्मज श्री भोलाराम साहू को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5(1) (सी) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2012

फा. क्र. 2408/581/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) एवं छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 8 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री श्यामलाल नवरत्न आत्मज श्री नहर राम नवरत्न को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5(1) (सी) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2012

क्रमांक 2024/538/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए श्री रविन्द्र कुमार चतुर्वेदी, नोटरी-करगीरोड़, जिला बिलासपुर (छ.ग.) का नाम, नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

आदिमजति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2012

क्रमांक एफ-19-40/2009/25/2.—वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 13 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा राज्य वक्फ बोर्ड में धारा 14 (i) ख (iv) के अंतर्गत निम्नलिखित मुतवल्लियों को राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त करता है :—

1. श्री सरवर अली, अंजुमन इस्लामिया, कांकेर
2. श्री मीर कादिर अली, हजरत फतेहशाह मजार व मस्जिद ट्रस्ट कमेटी पुलिस लाईन टिकरापारा, रायपुर

2. वक्फ बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 15 के प्रावधानानुसार सदस्यगण पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे.

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2012

क्रमांक/एफ-33/25-2/2006/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 17 सहपठित धारा 18 एवं छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति नियम, 2002 के नियम 4 सहपठित नियम 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अध्यधीन छत्तीसगढ़ राज्य हज समिति का निम्नानुसार गठन करता है :

क्र.	नाम	पद
1.	मान. श्रीमती मोहसिना किदवई, राज्य सभा सदस्य, 80 लोधी एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
2.	मान. श्री मो. अकबर, विधायक, पंडरिया	सदस्य
3.	मान. श्री बदरूद्दीन कुरैशी, विधायक, भिलाईनगर	सदस्य
4.	श्री मो. अकबर कुरैशी, कबीरधाम	सदस्य
5.	सुश्री तरन्नुम कुरैशी, पार्षद, दुर्ग	सदस्य
6.	श्री नईम आलम, पार्षद, जशपुर	सदस्य
7.	श्री मौ. जलालुद्दीन रिजवी, भिलाई	सदस्य
8.	श्री मौ. रिफअत अली, रायपुर	सदस्य
9.	श्री जहीरूल हसन, रायपुर	सदस्य
10.	श्री शेख सिद्दीकी, जगदलपुर	सदस्य
11.	श्री अब्बास अली, अंबिकापुर	सदस्य
12.	श्री मो. जियाद्दीन राजनांदगांव	सदस्य
13.	डॉ. सलीम राज, रायपुर	सदस्य
14.	श्री हमीद अहमद शाह, भिलाई	सदस्य
15.	चेयरमैन राज्य वक्फ बोर्ड	पदेन सदस्य
16.	सचिव राज्य हज कमेटी	पदेन सदस्य

2. हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 18(1) (i) (a) एवं (b) के अध्यधीन क्रमशः राज्य के मुस्लिम संसद सदस्य एवं मुस्लिम विधान सभा सदस्यों का नामांकित किया जाना प्रावधानित है तथा धारा 22(2) के अध्यधीन समिति के पदमुक्त सदस्यों को दो बार से अधिक नामांकित नहीं किए जाने का प्रावधान है परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में उपर्युक्त नामांकित सदस्य क्रमांक 1 से 3 के अतिरिक्त यथानुसार अन्य मुस्लिम संसद सदस्य एवं विधान सभा सदस्य नहीं होने के कारण सदस्य क्रमांक (1) एवं क्रमांक (2) के द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2012 को राज्य हज समिति का द्वितीय कार्यकाल पूर्ण करने के बावजूद अन्य विकल्प नहीं होने के कारण नामांकित किया जाता है.

3. समिति के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा.

4. यह अधिसूचना दिनांक 15 मार्च, 2012 से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2012

क्रमांक/एफ 19-2/2012/25-2/आजावि.—हज कमेटी अधिनियम, 2002 की धारा 21 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानानुसार राज्य हज कमेटी के नामांकित सदस्यों द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2012 को राज्य हज कमेटी की प्रथम सभा में सर्वसम्मति से हज कमेटी के अध्यक्ष पद पर डॉ. सलीम राज का चुनाव किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन, एतद्द्वारा, हज कमेटी अधिनियम, 2002 की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए डॉ. सलीम राज को छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी का अध्यक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2012

विषय :- औद्योगिक इकाईयों को शासकीय भूमि हस्तांतरण/अधिग्रहण कर आवंटन करने बाबत्.

क्रमांक एफ 11-3/2012/ग्यारह/(छ:).—औद्योगिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर शासकीय भूमि आवंटन हेतु भू-प्रब्याजि दर का निर्धारण करने की प्रक्रिया निम्नानुसार संशोधित की जाती है :—

राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक प्रयोजन के लिये शासकीय भूमि आवंटन हेतु प्रब्याजी निर्धारण की पूर्व निर्धारित प्रक्रिया को संशोधित करते हुये शासकीय भूमि को औद्योगिक प्रयोजन के लिये आवंटित किये जाने पर भू-प्रब्याजि की न्यूनतम दर आदर्श पुनर्वास नीति 2007 की कंडिका 4.1.5 (क) में किये गये संशोधन दिनांक 19 मार्च, 2010 के समतुल्य करता है. यह संशोधन लोकहित में कुछ जिलों में हुई सद्भाविक त्रुटि सुधार हेतु आदर्श पुनर्वास नीति 2007 में हुए संशोधन दिनांक 19 मार्च, 2010 (भूतलक्षी प्रभाव) से लागू होगा.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2012

संशोधन अधिसूचना

क्रमांक एफ-20-95/2004/ग्यारह/(छ:).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि औद्योगिक नीति 2004-09 के परिशिष्ट-4 के "बिन्दु क्रमांक 2-अधोसंरचना लागत/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान" में उपबिन्दु "ख" एवं "ग" में अधिकतम सीमा (मात्रा में) त्रुटिवश अंकित नहीं हो पायी थी एवं इस कारण "छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम-2004" की कंडिका 5-अनुदान की मात्रा के तालिका "ख" एवं "ग" में भी अधिकतम (मात्रा में) में अंकित नहीं हुई थी अब चूंकि औद्योगिक नीति 2004-09 में त्रुटि सुधार कर संशोधित अधिसूचना जारी की जा चुकी है.

अत: इसके अनुपालन में "छत्तीसगढ़ राज्य अधोसंरचना लागत/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2004" में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :—

(1) समसंख्य अधिसूचना दिनांक 18-08-2005 की कंडिका 5-की तालिका "ख" एवं "ग" में भी त्रुटि सुधार करते हये तालिका "ख" एवं "ग" को संलग्न संशोधित तालिका से प्रतिस्थापित किया जाता है.

(2) समसंख्य अधिसूचना दिनांक 18-08-2005 में अनुदान की राशि विभागीय बजट से दी जायेगी [illegible] अधिसू[illegible] समायोजन/समायोजन प्रमाण-पत्र शब्द प्रयुक्त हुआ है, को विलोपित किया जाता है.

(3) यह संशोधन अधिसूचना औद्योगिक नीति 2004-09 के लागू होने के दिनांक अर्थात् 01 नवम्बर 2004 से प्रभावशील की जाती है.

उक्त संशोधित अधिसूचना वित्त विभाग के यू.ओ. नोट क्र. 122/सी.एन./00001372 दिनांक 01-03-2012 के परिप्रेक्ष्य में जारी की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

संशोधन तालिका

ख (1) —मध्यम-वृहद उद्योग

क्षेत्र	वर्ग	सामान्य उद्योग		विशेष थ्रस्ट उद्योग	
		नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना	विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार	नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना	विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्रेणी अ— सामान्य क्षेत्र- रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव व कवर्धा जिलों के क्षेत्र.	1-सामान्य 2-अनिवासी भारतीय-शत प्रतिशत एफ डी आई निवेशक 3-अनु.जाति-जनजाति वर्ग 4-अनु.जाति-जनजाति वर्ग (महिला)	औद्योगिक क्षेत्र के बाहर उद्योग स्थापित होने पर अधोसंरचना लागत का 25% या राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 90 लाख.	औद्योगिक क्षेत्र से बाहर विस्तार करने पर अधोसंरचना लागत का 25% या राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 90 लाख.	औद्योगिक क्षेत्र में/औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 110 लाख.	औद्योगिक क्षेत्र में/औद्योगिक क्षेत्र के बाहर विस्तार करने पर सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 110 लाख.
श्रेणी ब— अति पिछड़े/ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र- बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर), कोरिया, सरगुजा, जशपुर, बीजापुर व नारायणपुर.	1-सामान्य 2-अनिवासी भारतीय-शत प्रतिशत एफ डी आई निवेशक 3-अनु.जाति-जनजाति वर्ग 4-अनु.जाति-जनजाति वर्ग (महिला)	औद्योगिक क्षेत्र में/औद्योगिक क्षेत्र के बाहर उद्योग स्थापित होने पर सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 100 लाख.	औद्योगिक क्षेत्र से बाहर विस्तार करने पर सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 100 लाख.	औद्योगिक क्षेत्र में/औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 120 लाख.	औद्योगिक क्षेत्र में/औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 120 लाख.

ख (2) —मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	वर्ग	सामान्य उद्योग: नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना	सामान्य उद्योग: विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार	विशेष थ्रस्ट उद्योग: नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना	विशेष थ्रस्ट उद्योग: विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार
श्रेणी अ— सामान्य क्षेत्र- रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव व कवर्धा जिलों के क्षेत्र.	1-सामान्य 2-अनिवासी भारतीय-शत प्रतिशत एफ डी आई निवेशक 3-अनु.जाति-जनजाति वर्ग 4-अनु.जाति-जनजाति वर्ग (महिला)	औद्योगिक क्षेत्र के बाहर उद्योग स्थापित होने पर अधोसंरचना लागत का 25% या राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 300 लाख.	औद्योगिक क्षेत्र के बाहर उद्योग स्थापित होने पर अधोसंरचना लागत का 25% या राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 300 लाख.	औद्योगिक क्षेत्र में/औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 350 लाख.	औद्योगिक क्षेत्र में/औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 350 लाख.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्रेणी ब—अति पिछड़े/ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र- बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर), कोरिया, सरगुजा, जशपुर, बीजापुर व नारायणपुर.	1- सामान्य 2- अनिवासी भारतीय- शत प्रतिशत एफ डी आई निवेशक 3- अनु.जाति-जनजाति वर्ग 4- अनु.जाति-जनजाति वर्ग (महिला)	औद्योगिक क्षेत्र में/औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 350 लाख.	औद्योगिक क्षेत्र में/औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 350 लाख.	औद्योगिक क्षेत्र में/औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 500 लाख.	औद्योगिक क्षेत्र में/औद्योगिक क्षेत्र के बाहर सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 500 लाख.
ग—अति वृहद उद्योग (नवीन औद्योगिक इकाईयों की स्थापना/विद्यमान औद्योगिक इकाईयों का विस्तार)					
श्रेणी अ— सामान्य क्षेत्र- रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव व कवर्धा जिलों के क्षेत्र.	1- सामान्य 2- अनिवासी भारतीय- शत प्रतिशत एफ डी आई निवेशक 3- अनु.जाति-जनजाति वर्ग 4- अनु.जाति-जनजाति वर्ग (महिला)	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 300 लाख.	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 300 लाख.	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 350 लाख.	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 350 लाख.
श्रेणी ब—अति पिछड़े/ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र- बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर), कोरिया, सरगुजा, जशपुर, बीजापुर व नारायणपुर.	1- सामान्य 2- अनिवासी भारतीय- शत प्रतिशत एफ डी आई निवेशक 3- अनु.जाति-जनजाति वर्ग 4- अनु.जाति-जनजाति वर्ग (महिला)	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 350 लाख.	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 350 लाख.	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 500 लाख.	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि रुपये 500 लाख.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2012

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बायलर क्रमांक-एम.पी./3825 को दिनांक 03-01-2012 से 31-07-2012 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2012

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बायलरों को नीचे दर्शाये अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से निम्नानुसार कार्योत्तर छूट प्रदान करता है :—

क्रमांक	बायलर क्रमांक	छूट की अवधि
1.	एम.पी./3542	दिनांक 23-10-2011 से 20-12-2011 तक
2.	एम.पी./3522	दिनांक 24-10-2011 से 20-12-2011 तक

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 को अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2012

क्रमांक एफ 8-3/2011/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई के बायलर क्रमांक-एम.पी./3005 को दिनांक 19-10-2011 से 11-11-2011 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से कार्योत्तर छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2012

क्रमांक एफ 8-1/2010/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मे. एन.टी.पी.सी. लिमि., सीपत, बिलासपुर के बायलर क्रमांक-T0401901 को दिनांक 29-02-2012 से 31-08-2012 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से कार्योत्तर छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 फरवरी 2012

क्रमांक एफ 7-05/2011/32.—संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम रायपुरा खास प.ह.नं. 106 स्थित भूमि खसरा क्रमांक 447 रकबा 46609 वर्गफुट एवं खसरा क्रमांक 446 रकबा 11761 वर्गफुट जो डा. हरदीप सिंह बिरदी के नाम दर्ज है तथा जिसमें पूर्व से हास्पिटल निर्मित है पर त्रुटिवश कब्रिस्तान दर्शित हो गया है, प्रभावित होने के कारण संशोधित किया जाना आवश्यक है.

अत: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 35 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत यह समाधान होने के पश्चात्, कि रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में वर्णित, ग्राम रायपुरा खास प.ह.नं. 106 स्थित भूमि खसरा क्रमांक 447 रकबा 46609 वर्गफुट एवं खसरा क्रमांक 446 रकबा 11761 वर्गफुट पर कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं रह गई है, प्रश्नाधीन भूमि को रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में कब्रिस्तान से निकाल दिए जाने की मंजूरी देता है.

इस आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रश्नाधीन भूमि रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में दर्शित आरक्षण से निर्मुक्त हुई समझी जावेगी, और वह पार्श्वस्थ भूमि के मामले में सुसंगत योजना के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय विकास के प्रयोजन के लिए स्वामी को उपलब्ध हो जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2012

क्रमांक एफ 4-3/2012/23/वि.यो.—राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. राज्य की 6वीं आर्थिक गणना हेतु श्री रोशनलाल साहू, भा.सां.से., अपर संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छ.ग. रायपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2012

क्रमांक एफ 1-9/2008/13-1—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 एवं 78 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. एस. मिश्रा जो प्रमुख सचिव, वित्त एवं योजना, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ है, को दिनांक 16-02-2012 से आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

2. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2 दिनांक 13-02-2012 के अनुसार वर्तमान में श्री अजय सिंह, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा नगरीय विकास विभाग के प्रभार में है. अत: श्री अजय सिंह जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के निदेशक हैं उन्हें अंतर्नियम की कंडिका 77(iv) के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2012

क्रमांक एफ 1-9/2008/13-1—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 एवं 78 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. एस. मिश्रा, जो प्रमुख सचिव, वित्त एवं योजना, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ है, को दिनांक 16-02-2012 से आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

2. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2 दिनांक 13-02-2012 के अनुसार वर्तमान में श्री अजय सिंह, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा नगरीय विकास विभाग के प्रभार में है. अत: श्री अजय सिंह जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के निदेशक हैं उन्हें अंतर्नियम की कंडिका 77(iv) के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2012

क्रमांक एफ 1-9/2008/13-1—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 एवं 78 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. एस. मिश्रा जो प्रमुख सचिव, वित्त एवं योजना, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ है, को दिनांक 16-02-2012 से आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

2. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2 दिनांक 13-02-2012 के अनुसार वर्तमान में श्री अजय सिंह, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा नगरीय विकास विभाग के प्रभार में है. अत: श्री अजय सिंह जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के निदेशक हैं उन्हें अंतर्नियम की कंडिका 77(iv) के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2012

क्रमांक एफ 1-9/2008/13-1—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 एवं 78 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. एस. मिश्रा जो प्रमुख सचिव, वित्त एवं योजना, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ है, को दिनांक 16-02-2012 से आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

2. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2 दिनांक 13-02-2012 के अनुसार वर्तमान में श्री अजय सिंह, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा नगरीय विकास विभाग के प्रभार में है. अत: श्री अजय सिंह जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के निदेशक हैं उन्हें अंतर्नियम की कंडिका 77(iv) के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2012

क्रमांक एफ 1-9/2008/13-1—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 एवं 78 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. एस. मिश्रा जो प्रमुख सचिव, वित्त एवं योजना, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ है, को दिनांक 16-02-2012 से आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी में पदेन निदेशक नियुक्त करता है.

2. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2 दिनांक 13-02-2012 के अनुसार वर्तमान में श्री अजय सिंह, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा नगरीय विकास विभाग के प्रभार में है. अत: श्री अजय सिंह जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के निदेशक हैं उन्हें अंतर्नियम की कंडिका 77(iv) के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक पद से पदमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 1 मार्च 2012

क्रमांक 1777 क/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	घुमा	0.26	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी संभाग, धमतरी.	सिर्री, दर्रा, खर्रा, पटेवा मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुरूद, मुख्यालय कुरूद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोंडीउपरोड़ा	जुराली	5.32	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	आमाखोखरा जलाशय हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	लिटियाखार	6.37	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	लिटियाखार जलाशय योजना के एप्रोच रोड कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोंडीउपरोड़ा	आमाखोखरा	7.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	आमाखोखरा जलाशय हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोंडीउपरोड़ा	जुराली	3.87	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	आमाखोखरा जलाशय हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 28 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	चैतमा	9.95	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	चैतमा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 28 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	गंगदेई	9.43	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	गंगदेई व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 28 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	कन्हैयाभाठा	7.25	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	गंगदेई व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 28 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	नवागांव	2.11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	गंगदेई व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 28 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	चैतमा	3.64	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	चैतमा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजपाल सिंह त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 24 जनवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2011-2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	मनोरा	सरईटोली प. ह. नं. 7	1.033	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रायगढ़.	तोरा सरईटोली मार्ग में ईब नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग का प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 3 मार्च 2012

क्रमांक 07/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	लछनपुर प. ह. नं. 14	9.23	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लछनपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत एल.बी.सी. नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 मार्च 2012

क्रमांक 08/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	गोंदईया प. ह. नं. 14	2.73	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लछनपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत एल.बी.सी. नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 मार्च 2012

क्रमांक 09/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	लोफंदी प. ह. नं. 15	4.39	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लछनपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत एल.बी.सी. नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/42.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	रायपुरा प.ह.नं. 04	0.246	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	तांदुलडीह माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/43.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	नरियरा प.ह.नं. 15	0.048	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	नरियरा माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/44.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	किकिरदा प.ह.नं. 24	0.012	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	करही माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/45.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	किकिरदा प.ह.नं. 24	0.149	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	किकिरदा माइनर नं. 3 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/46.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	करही प.ह.नं. 27	0.293	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	करही माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/47.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	अमोदा प.ह.नं. 30	0.214	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	हसौद वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/48.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	नरियरा प.ह.नं. 15	0.312	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	हसौद माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/49.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	नरियरा प.ह.नं. 15	0.879	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	मरघटी उप वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/50.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	परसदा प.ह.नं. 27	0.195	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	चिस्दा माइनर नं. 4 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/51.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	घिवरा प.ह.नं. 24	0.121	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	बिर्रा उप वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/52.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	डोमाडीह प.ह.नं. 23	0.264	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	डोमाडीह माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/53.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	मल्दाकला प.ह.नं. 23	0.190	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	घिवरा माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/54.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	मल्दाकला प.ह.नं. 23	0.818	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	मल्दाकला उप वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 मार्च 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/55.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	परसदा प.ह.नं. 27	0.343	कार्यपालन अभियन्ता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	चिस्दा माइनर नं. 3 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 23 मार्च 2012

क्रमांक/22/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01 अ/82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	अमलीडीह प. ह. नं. 20	0.22	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु संभाग, रायपुर (छ.ग.)	आमाकोनी-तमोरा मार्ग पर पुलिया निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-मड़ई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.08 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1882	0.10
1883	0.17
1884/1	0.49
1909/1	0.31
1909/2	0.25
1884/2	0.49
1906/2	0.40
1898	0.30
1920	0.39
1923	0.03
1919	0.23
1906/1	0.30
1918	0.11
1916	0.14
1907	0.40
1830	0.20
1820/1	0.12
1820/2	0.12
1810	0.38

(1)	(2)
1808	0.10
1809/1	0.10
1805	0.12
1806	0.12
1807	0.24
1811	0.05
1801	0.17
1714	0.05
1713	0.10
1705/2	0.05
1704	0.03
1908	0.50
1799	0.25
1832	0.03
1831	0.35
1809/2	0.20
1833/6	0.20
1833/2	0.05
1833/5	0.05
1703/1	0.04
1703/2	0.04
1702	0.03
1684/1	0.14
1684/2	0.14
योग	8.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लीलागर व्यपवर्तन नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.34 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
303/5	0.26
573/1	0.13
303/6	0.24
303/7	0.04
354/1	0.60
582/11	0.15
353/3	0.05
362/1	0.05
362/2	0.05
366/2	0.15
566/3	0.24
566/1	0.15
566/2	0.02
303/8	0.24
366/1	0.02
568/1	0.12
568/2	0.21
569/2	0.13
571/1	0.07
573/2	0.36
574/1	0.24
575/1	0.15
575/3	0.30
575/4	0.40
582/12	0.15
582/10	0.15
583/1	0.32
585/2	0.25
602/7	0.12
587/1	0.10
375/2	0.02
375/3	0.03
375/4	0.05
376	0.02
380/1	0.02

(1)	(2)
380/2	0.02
380/3	0.02
381	0.36
527	0.02
587/2	0.15
586/3	0.18
602/2	0.24
602/3	0.20
602/5	0.15
602/6	0.20
602/8	0.20
योग	7.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लीलागर व्यपवर्तन नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मंगला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1100/1, 2, 1100/1	$0.06^1/_2$
1100/5, 1101/10	0.06
1100/6	$0.2^1/_2$
1101/17, 22	0.03
योग 4	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अन्डर ग्राउंड सिवरेज सिस्टम (एस.पी.एस.) निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-देवगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.94 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/4क	0.06
1/4घ	0.04
1/2, 1/4	0.13
1/9	0.15
1/8	0.43
1/5	0.18
1/6	0.07
1/7	0.17
2/3	0.17

(1)	(2)
17/3	0.03
17/4	0.28
18	0.20
20	0.45
23/1	0.26
24/3	0.15
46/1	0.13
46/2, 46/3	0.13
50/1	0.15
50/2	0.10
49/1	0.41
58/8	0.25
योग	3.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-देवगांव व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-पाराघाट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.20 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
748/1	0.14
748/4	0.14
750/2	0.16
750/3	0.04
750/4	0.14
750/6	0.07
750/7	0.09
752/2	0.12
752/14	0.03
753/1	0.18
756/4	0.21
758/1	0.14
758/2	0.21
817/1	0.29
818	0.24
योग	2.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हीरीं व्यपवर्तन योजना पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्रमांक/1832/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 8 अ./82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-समोदा, प. ह. नं. 36/50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.540 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1205	0.180
	1168	0.360
योग	2	0.540

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- समोदा-अछोला मार्ग के 1/10 पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग में समोदा तरफ पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 26 मार्च 2012

क्रमांक 361/नग्रानि/12.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि खरसिया निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये गये ग्रामों के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23, 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति जिला कार्यालय रायगढ़, प्रदर्शनी स्थल कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् खरसिया एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ में दिनांक 26-03-2012 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. खरसिया निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है.

अनुसूची

खरसिया निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मदनपुर, तेलीकोट तथा रतन महका की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम रतन महका, गोपीमहका, नगर खरसिया तथा ग्राम अंजोरीपाली के पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम अंजोरीपाली तथा मोहापाली के दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम मोहापाली तथा मदनपुर के पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गये अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् खरसिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्तियां/सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जायेगा.

No. 361/N.G.N./12.—Notice is hereby given that the Existing Land use maps and register for villages which have been included in Kharsia planning area has been prepared under sub-section (i) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from

26 March 2012 during office hours in the office of the Collector Raigarh. Exhibition venue office of the Nagar Palika Parishad Kharsia, office of the Assistant Director, Town & Country Planning Raigarh. The limit of Kharsia planning area is defined in the Schedule given below.

SCHEDULE

Limits of Kharsia Planning Area

NORTH : Village Madanpur, Telikot & upto Northern limit of village Ratan Mahka.

EAST : Village Ratan Mahka, Gopi Mahka, Nagar Kharsia & upto Eastern limit of village Anjoripali.

SOUTH : Village Anjoripali & upto Southern limit of village Mohapali.

WEST : Village Mohapali & upto Western limit of village Madanpur.

If there be any objection or suggestion with the Existing land use map so prepared. It should be sent in writing to the Nagar Palika Parishad Kharsia within a period of Thirty Days from the that date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the paid Existing land use map before the period specified above will be considered by the Director.

के. एस. कंवर,
सहायक संचालक.